फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम – नसीराबाद

प्रभु सिंह बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा :– राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 58 सन् –2024

88/181/136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/24	अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 7/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	261-62 27/3/24
7/5/24	वकील वादी ने पत्रावली किया कि वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना है वादी अधिवक्ता के निवेदन पर वादी Not Press के जरिये [illegible] जाता है पत्रावली मिसल शुमार हो व निस्तारी करदी व दफ्तर बकार है उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	Note Press by